न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या, आर.ए.एस.

अनुवान मनफूल बनाम मनीराम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) रा0 का0 अधि0 1955

प्रार्थना पत्र सं. 50/2021

निर्णय दिनांक 26/08/2025

मनफूल पुत्र लेखूराम जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू

—प्रार्थी

बनाम्

1. मनीराम पुत्र जोखाराम जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. पूर्णी पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. लिछमा पत्नी उदराम जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. देवकरण पुत्र उदराम जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
5. श्रवणकुमार पुत्र उदराम जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
6. कमला पुत्री उदराम जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
7. संतोष पुत्री उदराम जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
8. सरोज पुत्री उदराम जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
9. अमराराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
10. अशोक पुत्र कन्हैयालाल जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
11. भूरी पत्नी कन्हैयालाल जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
12. बीरबल पुत्र पन्नालाल जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
13. मोहनलाल पुत्र पन्नालाल जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
14. भागीरथ पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
15. रामबक्स पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
16. नौरंगराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर जिला चूरू
17. मोहनलाल पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी हरियासर जाटान तह. सरदारशहर जिला चूरू
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर (चूरू)

— अप्रार्थीगण —

उपस्थितिः

1. श्री महावीर प्रसाद नेहरा एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. श्री सांवरमल सारण एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी सं. 1/1 ता 1/3
3. श्री श्योकरण पोटलिया एडवोकेट वास्ते 2 ता 14 व अप्रार्थी सं. 15/1 ता 15/5 तथा 16 ता 17
3. राज पैरोकार अप्रार्थी सं. 18

निर्णय

प्रार्थना पत्र से सम्बंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ख0 नं0 242 तादादी 3.6700 हैक्टेयर रोही मौजा हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर में स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि ख0 नं0 242 में आवागमन का सदामत का रास्ता गांव हरियासर जाटान से होकर खेत ख0 नं0 218 जो अप्रार्थी सं0 2 ता 8, खेत ख0नं0 219 अप्रार्थी सं0 9, खेत ख0 नं0 221 अप्रार्थी सं0 10 ता 13, खेत ख0 नं0 224 अप्रार्थी सं0 14, खेत ख0 नं0 227 अप्रार्थी सं0 1, खेत ख0 नं0 233

अप्रार्थी सं0 15, खेत ख0 नं0 232 अप्रार्थी सं0 16 तथा खेत ख0 नं0 236 अप्रार्थी सं0 17 में से होकर प्रार्थी के खेत ख0 नं0 242 तक जाता है। इस रास्ता से बिना किसी विघ्न बाधा के शांतिपूर्वक प्रार्थी सदामत से आवागमन करता आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ने वर्तमान में प्रार्थी के खेत ख0 नं0 242 में जाने वाले उक्त रास्ता को अपने खेत ख0 नं0 227 में बन्द कर दिया है जिस कारण प्रार्थी का अपना खेत ख0 नं0 242 में आवागमन करना संभव नहीं रहा है और प्रार्थी के पास अपने खेत में आवागमन का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिससे प्रार्थी को फसल काश्त करने में भारी परेशानी व असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता को अप्रार्थी सं0 1 के खेत में से चालु करवाना चाहता है।

प्रार्थी के खेत में जाने का रास्ता अप्रार्थी सं0 1 के खेत में से बन्द कर दिया गया है। प्रार्थी सदामत से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित रास्ता से होकर आवागमन करता है। प्रार्थी लाल रंग से दर्शित "A" से "B" स्थान तक लम्बाई का 15 फुट चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी को उंटगाड़ा ट्रेक्टर ट्रॉली आदि साधनों के आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न ना हो। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी के खेत ख0 नं0 242 में जाने का इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में हर वर्ष वर्षात के समय फसल काश्त करता है। यदि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा यह रास्ता नहीं खोला गया तो प्रार्थी फसल काश्त करने से वंचित हो जायेगा और प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के खेत ख0 नं0 227 में से होकर नजरी नक्शा में लाल रंग दर्शाये गये रास्ता A to B मे से आवागमन करने का अधिकारी है। प्रार्थी का रास्ता खुलवाया जाना अतिआवश्यक है। प्रार्थी अपने खेत ख0 नं0 242 में जाने के लिए अप्रार्थी सं0 1 के खेत ख0 नं0 227 में से नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाये गये रास्ता "A" से "B" से होकर हमेशा से आवागमन करता आ रहा है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के खेत ख0नं0 227 में से नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाये गये रास्ता "A" से "B" लम्बाई का 15 फुट चौड़ा कटानी रास्ता कायम करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम कर रास्ते के अलग खसरा नम्बर कायम करवाना चाहता है। जिसके लिए वर्तमान डीएलसी दर से अप्रार्थी सं0 1 ता 17 को प्रतिकर देने को प्रार्थी तैयार है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 ता 17 को कहा एवं कहलवाया कि वो प्रार्थी के खेत में जाने का सदामत का रास्ता बाधित नहीं करे और प्रार्थी के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे तो वे नहीं माने और आखिरकार दिनांक 14.08.2021 को बमुकाम हरियासर जाटान में मानने से साफ इनकार करने के कारण एवं प्रार्थी के खेत ख0 नं0 242 से जाने का सदामत का रास्ता होने से प्रार्थी को आधार प्राप्त है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 17 के खेत ख0 नं0 218, ख0नं0 219, ख0 नं0 221, ख0 नं0 224, ख0 नं0 227, ख0 नं0 233, ख0 नं0 232 तथा ख0 नं0 236 में से होकर प्रार्थी के खेत ख0 नं0 242 में प्रवेश के लिए नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित "A" से "B" लम्बाई का 15 फुट चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ता अंकन कर अलग खसरा नम्बर रास्ता का कायम कर रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जाने का निवेदन किया एवं उक्त रास्ता में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि प्रार्थी देने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। 2 ता 14 व अप्रार्थी सं. 15/1 ता 15/5 तथा 16 ता 17 की ओर से श्री श्योकरण पोटलिया एडवोकेट ने वकालतनामा व इकबाल जवाब प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 1/1 ता 1/3 की ओर से श्री सांवरमल सारण ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 1/1 ता 1/3 को बार-बार अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अप्रार्थी सं. 1/1 ता 1/3 का जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 18 तहसीलदार सरदारशहर ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया लेकिन प्रकरण रास्ते से संबंधित होने के कारण मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार सरदारशहर ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि हरियासर जाटान के खेल खसरा नम्बर 242 में सदामत से जाने वाले रास्ते को खसरा नम्बर 227 के खातेदार मनीराम पुत्र जोखाराम जाति जाट ने अपने खेत में बद कर रखा है बाकी खेत खसरा नम्बर 218,219,221,224 व 233,232,236 में रास्ता खुला है तथा आवागमन हेतु मना नहीं करते है। पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 17 के खेत ख0 नं0 218, ख0नं0 219, ख0 नं0 221, ख0 नं0 224, ख0 नं0 227, ख0 नं0 233, ख0 नं0 232 तथा ख0 नं0 236 में से होकर प्रार्थी के खेत ख0 नं0 242 में प्रवेश के लिए नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित "A" से "B" लम्बाई का 15 फुट चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ता अंकन कर अलग खसरा नम्बर रास्ता का कायम कर रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जाने का निवेदन किया एवं उक्त रास्ता में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि प्रार्थी देने को तैयार है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अप्रार्थीगण के खेत की जमाबंदी व नक्शे की प्रमाणित प्रतियां पेश की तथा नक्शा एनेक्श्चर पेश किया, मुताबिक जमाबंदी पक्षकारान के खातेदारी भूमि के सम्बंध में कोई विवाद नही है। कृषि भूमि ख0 नं0 242 तादादी 3.6700 हैक्टेयर रोही मौजा हरियासर जाटान तहसील सरदारशहर में स्थित है। प्रार्थी के इस खातेदारी के खेत में आवागमन करने के लिये इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है कानून के प्रावधानों के अनुसार एवं प्रार्थी की आवश्यकता के अनुसार उसके खातेदारी खेत ख0 नं0 242 तादादी 3.6700 हैक्टेयर रोही मौजा हरियासर जाटान में आवागमन करने हेतु प्रार्थी रास्ता मौके पर 15 फुट चौड़ा होना आवश्यक है इसलिये कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को इस आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित "A" से "B" लम्बाई का 15 फुट चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकार है।

अप्रार्थीगण सं0 1 ता 17 के खेत ख0 नं0 218, ख0नं0 219, ख0 नं0 221, ख0 नं0 224, ख0 नं0 227, ख0 नं0 233, ख0 नं0 232 तथा ख0 नं0 236 में से होकर प्रार्थी के खेत ख0 नं0 242 में प्रवेश के लिए नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित "A" से "B" लम्बाई का 15 फुट चौड़ा रास्ता दशार्या गया है। इसी रास्ते से खातेदार आवागमन करते थे। प्रार्थी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा एनेक्शर में दिखाये गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत में आवागमन का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिसकी पुष्टी मौका रिपोर्ट से होती है प्रकरण में तहसीलदार सरदारशहर से मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा मंगवायी गई जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी का यह प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से पुष्ट प्रमाणित होता है इसलिए यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुष्ट व प्रमाणित पाये जाने पर स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 17 के खेत ख0 नं0 218, ख0नं0 219, ख0 नं0 221, ख0 नं0 224, ख0 नं0 227, ख0 नं0 233, ख0 नं0 232 तथा ख0 नं0 236 में से होकर प्रार्थी के खेत ख0 नं0 242 में प्रवेश के लिए नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित "A" से "B" लम्बाई का 15 फुट चौड़ा रास्ता मंजूर किया जाता है। चूंकि अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की जोत प्रार्थी की जोत के चिपती मौजूद नहीं है, इसलिये भूमि के बदले भूमि दिया जाना संभव नही है क्योंकि सभी जोत अलग–अलग है, नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित "A" से "B" लम्बाई का 15 फुट चौड़े रास्ते की भूमि का कुल रकबा जो बनता है उसकी डीएलसी दर से दोगुनी राशि की गणना कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 17 को प्रार्थी अदा करेगा, जो नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करवाई जाकर उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 17 की खातेदारी में से कम कर उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में गैर मुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा एनेक्श्चर निर्णय का भाग रहेगा। भूमि रहन यथावत रहेगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सरदारशहर को आदेश जारी किया जावे।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 26/08/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)